कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2018–19/विविध पुरस्कार/16 दिनांक–08/08/18

08-08-18

उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा
..... (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा ..... (समस्त)

विषय–राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास की 16वीं विशेष बैठक दिनांक 25.06.15 में लिये गये निर्णय की अनुपालना के संबंध में "श्री गुरूजी सम्मान पुरस्कार 2018" हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में ।

प्रसंग–सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास, जयपुर का पत्रांक–एफ–1/ शि.प्रा.प्र./रारापामं/14189 दि. 22.12.17 ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास, जयपुर ने राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास, जयपुर की 17वीं साधारण बैठक दिनांक 03.07.17 का कार्यवृत्त विवरण प्रेषित किया है । उक्त कार्यवृत्त विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.17 के द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर विचार विमर्श किये जाने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार "श्री गुरूजी सम्मान पुरस्कार" हेतु प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक जिले से एक अध्यापक का चयन प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा । इस प्रकार राज्य में कुल 33 चयनित अध्यापक/संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा एवं पुरस्कृत करने की तिथि प्रतिवर्ष 05 सितंबर (शिक्षक दिवस) प्रस्तावित की गई है । उक्त पुरस्कार के लिए प्रत्येक शिक्षक को 11000/– रूपये से सम्मानित किया जायेगा ।

अतः समस्त जिशिअप्राशि कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव निर्धारित संख्या अनुसार प्राप्त करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में इसका विशेष प्रचार–प्रसार किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले शिक्षक भी सूचित हो सके । आपके जिले से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक सवोत्कृष्ट अध्यापक का चयन निर्धारित मानदंडों के अनुसार करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधित उपनिदेशक प्राशि कार्यालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

समस्त उपनिदेशक प्राशि को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ जिशिअप्राशि कार्यालयों से प्रत्येक जिले से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक का चयन संबंधी समस्त दस्तावेज, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि की पूर्ण जांच कर वाहक स्तर पर दिनांक 20.08.18 (सोमवार) तक हर हाल में इस कार्यालय को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें । इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रस्ताव संबंधित अधिकारी/कार्मिक के साथ ही प्रेषित करवायें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास, 2–2, ए, झालाना डूंगरी, जयपुर।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

श्री गुरूजी सम्मान 2018 हेतु मानदंड

1. पुरस्कार चयन हेतु मानदंड

आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों का संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों एवं विद्यालय रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक चिन्हित/विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र में अंक प्रदान (जहां ऐसा आवेदन पत्र में विहित हो) एवं अनुशंषा (जहां ऐसा आवेदन पत्र में विहित हो) के उपरांत संबंधित बीईईओ को प्रेषित करेंगे । संस्था प्रधान स्वयं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त कार्यवाही पीईईओ (ग्रामीण क्षेत्र)/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि (शहरी क्षेत्र) द्वारा संपादित की जावेगी । जिश्िअप्राशि कार्यालय स्तर पर जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा तथा जिला स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी संबंधित जिशिअप्राशि द्वारा की जाकर वरियता प्राप्तांको के योग के आधार पर अवरोही क्रम में सूची तैयार की जावेगी । सर्वाधित अंक प्राप्त करने वाले अध्यापक/संस्था प्रधान का मूल आवेदन पत्र एवं सूची निदेशालय को निर्धारित समयावधि में स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रस्तुत करेंगे ।

पुरस्कार हेतु चयन में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण निष्पक्षता बरती जावेगी । अंक प्रदान करते समय आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र हेतु संलग्न किये गये दस्तावेजों, पारिमाणिक प्रमाणों एवं विद्यालय रिकॉर्ड के आधार पर सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधित योग्य संस्था प्रधान/अध्यापक का चयन किया जावेगा । किसी भी स्तर पर लापरवाही/दुर्भावना/अनियमितता आदि की भावना परिलक्षित होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी । पुरस्कार हेतु किसी भी शिक्षक का चयन करने से पूर्व यह आश्वस्त होना आवश्यक है कि उक्त कार्मिक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लंबित नहीं हो अथवा किसी मामले में पूर्व में दोष सिद्ध नहीं हुआ हो ।

समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक अध्यापक/संस्था प्रधान होने की स्थिति में सर्वाधित लंबी राजकीय सेवा वाले अध्यापक/संस्था प्रधान को चयन में वरीयता दी जावेगी ।

2. चयन मानदंड संबंधी कार्यक्षेत्र

(i) विगत 3 शैक्षिक सत्रों में नामांकन वृद्धि में योगदान–

सत्र	नामांकित करवाये गये विद्यार्थियों की संख्या	प्राप्तांक (पूर्णांक 5 में से)	तीनों सत्रों के कुल प्राप्तांक का योग (पूर्णांक 15 में से)
2015–16			
2016–17			
2017–18			

देय अंकभार	
न्यूनतम 05 विद्यार्थी	02 अंक
06 से 10 विद्यार्थी	03 अंक
11 से 15 विद्यार्थी	04 अंक
15 से अधिक	05 अंक

प्रत्येक क्षेत्र हेतु पूर्णांक 5 में से उपलब्धि अनुसार अंक प्रदान किये जावेंगे तथा अंत में पूर्णांक 15 में से तीनों सत्रों के कुल प्राप्तांक दर्शाये जायेंगे । संस्था प्रधान उक्त सूचना विद्यालय के प्रवेश रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित करेंगे । संस्था प्रधान स्वंय अपना आवेदन पीईईओ/बीईईओ को प्रस्तुत करते समय उस सत्र के प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे ।

(ii) विगत 03 शैक्षिक सत्रों का परीक्षा परीणाम–

कक्षा 5वीं (जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन)

सत्र	कुल प्रविष्ट परीक्षार्थीयों की संख्या	A+ ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	कुल A+ एवं A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	पूर्णांक 15 में से प्राप्तांक	तीनों सत्रों के प्राप्तांको का योग

						(पूर्णांक 45 में से)
2015–16						
2016–17						
2017–18						

कक्षा 8वीं (प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा)

सत्र	कुल प्रविष्ट परीक्षार्थीयों की संख्या	A+ ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	कुल A+ एवं A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	पूर्णांक 15 में से प्राप्तांक	तीनों सत्रों के प्राप्तांको का योग (पूर्णांक 45 में से)
2015–16						
2016–17						
2017–18						

A+ एवं A ग्रेड (50 प्रतिशत तक)	03 अंक
A+ एवं A ग्रेड (51 से 70 प्रतिशत तक)	05 अंक
A+ एवं A ग्रेड (71 से 85 प्रतिशत तक)	08 अंक
A+ एवं A ग्रेड (86 से 95 प्रतिशत तक)	11 अंक
A+ एवं A ग्रेड (96 से 100 प्रतिशत तक)	15 अंक

परीक्षा परिणाम के संबंध में संस्था प्रधान के प्राप्तांको का निर्धारण पूरे विद्यालय के परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जावेगा । यदि कोई अध्यापक द्वारा एक से अधिक विषय का अध्यापन करवाया गया है तो भी वह एक ही विषय, जिसमें परिणाम प्रतिशत तुलनात्मक रूप से दूसरे विषय से अधिक रहा है, का उल्लेख आवेदन पत्र में कर सकेगा ।

(iii) शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ विद्यालय संचालन में अतिरिक्त प्रभार का निर्वहन कर विद्यालय संचालन में सहयोग–

अतिरिक्त प्रभारों के पूरे शैक्षिक सत्र पर्यन्त करने के क्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के आलोच्य सत्र में रहे अतिरिक्त प्रभायों के क्रम में प्रत्येक अतिरिक्त प्रभार हेतु 01 अंक प्रदान किया जायेगा । उक्त कार्यभार का प्रमाणीकरण संस्था प्रधान द्वारा यह टिप्पणी अंकित होने की स्थिति में देय होंगे कि उक्त कार्मिक द्वारा उक्त प्रभार/प्रभारों का निर्वहन सत्र पर्यन्त सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है ।

(iv) अध्यापक अभिभावक संपर्कों में भूमिका–

उक्त के संबंध में संस्था प्रधान द्वारा अभिभावकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एवं सत्र पर्यन्त के मूल्यांकन के आधार पर पारिमाणिक अंक भार निम्नानुसार देय होगा–

अभिभावक संपर्क (पूर्णांक 5)		SMC बैठकों में सक्रियता/सहयोग (पूर्णांक 5)	
औसत	01 अंक	औसत	01 अंक
अच्छा	02 अंक	अच्छा	02 अंक
बहुत अच्छा	03 अंक	बहुत अच्छा	03 अंक
विशेष सक्रियता	04 अंक	विशेष सक्रियता	04 अंक
सर्वोत्कृष्ट	05 अंक	सर्वोत्कृष्ट	05 अंक

संस्था प्रधान के आवेदन के संबंध में उक्त अंकभार अंकन संबंधित बीईईओ द्वारा मूल्यांकन, बैठक रजिस्टर रिकॉर्ड, अभिभावक टिप्पणी, SMC सदस्यों से विचार विमर्श उपरांक किया जायेगा ।

(v) जन सहयोग प्राप्ति में योगदान–

उक्त बिंदु में नकद जनसहयोग के अलावा सहयोग में प्राप्त साम्रगी/निर्माण कार्य/भूमि दांन आदि की कीमत का रूपान्तरण नगद राशि में कर समानुपातिक अंकभार प्रदान किया जायेगा । संस्था प्रधान के

संबंध में उक्त अंकभार अंकन विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित बीईईओ द्वारा किया जायेगा । अंकभार अंकन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा–

01 लाख रूपये तक	01 अंक
01 लाख से अधिक एवं 02 लाख तक	02 अंक
02 लाख से अधिक एवं 05 लाख तक	03 अंक
05 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक	04 अंक
10 लाख से अधिक	05 अंक

(vi) पूर्व में प्राप्त पुरस्कार (विगत 05 वर्षों में)–

ब्लॉक स्तर	01 अंक
जिला स्तर	02 अंक
राज्य स्तर	03 अंक
राष्ट्रीय स्तर	04 अंक
अंतरराष्ट्रीय स्तर	05 अंक

उक्त अंक शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कारों पर ही देय है । पुरस्कार किसी राजकीय संस्था/एजेन्सी द्वारा दिया हुआ ही मान्य होगा ।

(vii) विद्यालय में पाठ्य सहगामी/सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में सहयागे (विगत 03 वर्षों में)–
(स्काउट गाइड, बालसभा, खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियां, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी आदि समकक्ष गतिविधियां)

प्रत्येक गतिविधि में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिवर्ष 01 अंक देय होगा । संस्था प्रधान उक्त प्रमाणीकरण इन गतिविधियों से संबंधित विद्यालय के रिकॉर्ड के आधार पर अंकभार प्रदान करेगा । संस्था प्रधान के आवेदन पर उक्त अंकभार संबंधित बीईईओ द्वारा विद्यालय रिकॉर्ड के अवलोकन उपरांत प्रदान किया जायेगा ।

(viii) गत 03 वर्षों में प्राप्त प्रशिक्षण/प्रशिक्षणें में उपस्थिति–

संभागी के रूप में	01 अंक
एम.टी. के रूप में	02 अंक
के.आर.पी. के रूप में	03 अंक

प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त तालिका के अनुसार अलग–अलग अंकभार देय होगा । अंत में विगत 03 वर्षों में प्राप्त प्रशिक्षणों के प्राप्तांकों का योग किया जायेगा ।

(ix) नियमितता, जवाबदेही, समय पालन एवं कार्य में पहल की प्रवत्ति–

उक्त में विगक 02 शैक्षिक सत्रों में अध्यापक द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में किये गये प्रदर्शन के आधार पर एवं विद्यालय में कार्मिक द्वारा संपन्न किये गये कार्यों में कार्मिक द्वारा दिये गये योगदान से संबंधित रिकॉर्ड अवलोकन के उपरांत प्रविष्टि की जायेगी–

क्र. सं.	गतिविधि	औसत (01 अंक)	अच्छा (02 अंक)	बहुत अच्छा (03 अंक)	विशेष सक्रियता (04 अंक)	सर्वोत्कृष्ट (05 अंक)	प्राप्तांको का योग (पूर्णांक 05 में से)
1	नियमितता						
2	जवाबदेही						
3	समय पालन						
4	कार्य में पहल						

नोट–

1. यदि विगत 5 वर्षों में किसी शिक्षक/संस्था प्रधान के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच लंबित है/दोषी पाया गया है तो उसका आवेदन पत्र अस्वीकार्य होगा । आवेदन पत्र पर अनुशंषाकर्ता द्वारा इस आशय की टिप्पणी भी अंकित की जायेगी– "उक्त अध्यापक/संस्था प्रधान के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लंबित नहीं है/किसी प्रकरण में दोष सिद्ध अथवा दंडित नहीं हुआ है । इनकी सेवाएं नियमित है । इनही विगत 5 वर्षों की सेवाएं नियमित, निर्विवाद एवं विभाग के अनुकूल नहीं है ।

2. यदि किसी कार्मिक का विगत 5 वर्षों में पदस्थापन एक से अधिक स्थानों पर रहा है तो संबंधित समस्त संस्था प्रधान (शिक्षक के आवेदन पत्र में)/बीईईओ (संस्था प्रधान के आवेदन के संबंध में) अपने कार्यालय से संबंधित अवधि के अंक प्रदान/प्रमाणीकरण उपरांत आवेदन पत्र आगामी संस्था प्रधान को प्रेषित करेंगे । आगामी संस्था प्रधान पूर्व के संस्था प्रधान द्वारा अंकभार/प्रमाणीकरण को अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखकर उसके आधार पर उस अवधि को शामिल करते हुए अपने कार्यकाल तक का अंकभार/प्रमाणकरण करेंगे ।

श्री गुरूजी सम्मान पुरस्कार 2018 हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

1.	शिक्षक/संस्था प्रधान का नाम	
2.	पद	
3.	पदस्थापन स्थान	
4.	जन्मतिथि	
5.	Employee ID	

6. विगत 5 वर्षों में रहे पदस्थापन का विवरण–

क्र.सं.	पद	पदस्थापन स्थान	अवधि (..... से ..... तक)

7. चयन मानदंड संबंधी कार्यक्षेत्र–

(i) विगत 3 शैक्षिक सत्रों में नामांकन वृद्धि में योगदान–

सत्र	नामांकित करवाये गये बालक/बालिका की संख्या	प्राप्तांक (पूर्णांक 5 में से)	तीनों सत्रों के कुल प्राप्तांक का योग (पूर्णांक 15 में से)
2015–16			
2016–17			
2017–18			

(ii) विगत 3 शैक्षिक सत्रों का परीक्षा परिणाम

कक्षा 5वीं (जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन)

सत्र	कुल प्रविष्ट परीक्षार्थीयों की संख्या	A+ ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	कुल A+ एवं A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	पूर्णांक 15 में से प्राप्तांक	तीनों सत्रों के प्राप्तांको का योग (पूर्णांक 45 में से)
2015–16						
2016–17						
2017–18						

कक्षा 8वीं (प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा)

सत्र	कुल प्रविष्ट परीक्षार्थीयों की संख्या	A+ ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	कुल A+ एवं A ग्रेड प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत	पूर्णांक 15 में से प्राप्तांक	तीनों सत्रों के प्राप्तांको

						का योग (पूर्णांक 45 में से)
2015–16						
2016–17						
2017–18						

(iii) शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ विद्यालय संचालन में अतिरिक्त प्रभार का निर्वहन कर विद्यालय संचालन में सहयोग–

क्र.सं.	अतिरिक्त प्रभार का नाम	प्रभार निर्वहन की अवधि (..... से ..... तक)	देय अंक
1			
2			
3			

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक द्वारा उपर्युक्त प्रभार/प्रभारों की निर्वहन सत्र पर्यन्त सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है ।

(iv) अध्यापक अभिभावक संपर्कों में भूमिका–

क्र. सं.	गतिविधि	प्रदत्त अंक (पूर्णांक 5 में से)	कुल प्राप्त अंक (पूर्णांक 15 में से)
1	अभिभावक संपर्क		
2	SMC बैठकों में सक्रियता/सहयोग		

(v) जन सहयोग प्राप्ति में योगदान–

क्र.सं.	शैक्षिक सत्र	जनसहयोग की राशि/प्राप्त सामग्री की राशि	देय अंक (पूर्णांक 5 में से)	कुल प्राप्त अंक (पूर्णांक 15 में से)
1	2015–16			
2	2016–17			
3	2017–18			

(vi) पूर्व में प्राप्त पुरस्कार (विगत 5 वर्षों में)–

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	ब्लॉक स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर	अंतरराष्ट्रीय स्तर	देय अंक
		संबंधित कॉलम में अंक भरें					
1							
2							
3							
						प्राप्तांको का योग	

(vii) विद्यालय में पाठ्य सामग्री/सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में सहयोग–

क्र.सं.	शैक्षिक सत्र	गतिविधि का नाम	देय अंक	कुल प्राप्त अंक
1	2015–16	1.		

		2.		
		3.		
2	2016–17	1.		
		2.		
		3.		
3	2017–18	1.		
		2.		
		3.		
			कुल प्राप्तांक	

(viii) गत 3 वर्षों में प्राप्त प्रशिक्षण/प्रशिक्षणों में उपस्थिति–

क्र.सं.	शैक्षिक सत्र	प्रेशिक्षण का नाम	किस रूप में उपस्थिति दी	देय अंक	कुल प्राप्त अंक
1	2015–16				
2	2016–17				
3	2017–18				
				कुल प्राप्तांक	

नोट–

1. सूचना स्पष्ट भरें । किसी भी स्थिति में कांट–छांट नहीं करें ।
2. सूचना पठनीय योग्य होनी चाहिये । कृपया सूचना साफ–साफ शब्दों व अक्षरों में भरें ।
3. किसी भी स्थिति में प्रारूप में छेड़–छाड़ नहीं करें ।